

कार्यालय मुख्य अभियंता एवं महानिदेशक, सिंचाई प्रबन्धन एवं प्रशिक्षण संस्थान, दादाबाड़ी रोड, कोटा

क्रमांक / आईएमटीआई/लेखा-I/2018-19/2140-45

दिनांक / 25-9-10

मैसर्स लीटू ट्रेवल्लस
4-बी-38, महावीर नगर विस्तार,
कोटा-324009 (राज.)
मो.नं. 98290-36524

विषय:-संस्थान के उपयोग हेतु वातानुकूलित/साधारण कार आवश्यकतानुसार किराये पर उपलब्ध करने के लिए एक एक वर्ष की दर संविदा ।

सन्दर्भ:-आप द्वारा दी गई निविदा दिनांक 13.08.2018 एवं नेगोसिएशन दिनांक 29.08.2018 महोदय,

सिंचाई प्रबन्धन एवं प्रशिक्षण संस्थान कोटा में आप द्वारा दिनांक 13.08.2018 एवं नेगोसिएशन दिनांक 29.08.2018 को दी गई निविदा की दरें, न्यूनतम होने के कारण राजस्थान के राज्य पाल की ओर से श्रीमान मुख्य अभियंता एवं महानिदेशक द्वारा स्वीकृत की जाती है, फलस्वरूप आदेशित किया जाता है कि आप उप निदेशक (सम्पदा) सिंचाई प्रबन्धन एवं प्रशिक्षण संस्थान, कोटा के निर्देशन में कार्य प्रारम्भ करें।

आपकी कार्य अवधि दिनांक 26.09.2018 से 25.09.2019 तक रहेगी।

क. सं.	कार्य की विवरण	निविदादाता द्वारा दी गई दर रूपये प्रा.कि.मी.
1	संस्थान के उपयोग हेतु एक वातानुकूलित/साधारण कार आवश्यकतानुसार किराये पर उपलब्ध करने के लिए दर संविदा बाबत 300 किमी. प्रति दिन आवश्यकतानुसार किराये पर उपलब्ध कराने हेतु दर:- (अ) 7 सीट्स बोलेरो/इनोवा/ट्वेरा इत्यादि मोडल वर्ष 2015 से पूर्व का पंजीकृत नहीं होगा ।	11.20
2	संस्थान के उपयोग हेतु एक वातानुकूलित/साधारण कार आवश्यकतानुसार किराये पर उपलब्ध कराने के लिए दर संविदा बाबत 300 किमी. प्रति दिन आवश्यकतानुसार किराये पर उपलब्ध कराने हेतु दर:- (अ) 5 सीट्स टाटा इन्डिगो/फोर्ड फियेस्टर/स्विस्त डिजाइर मोडल वर्ष 2015 से पूर्व का पंजीकृत नहीं होगा ।	8.20
		11.70
		8.70

शर्तें -

1. निविदादाता से अपेक्षा की जाती है कि वह चालक के वेतन, डीजल/पेट्रोल की कीमत, सरकारी कर एवं परमिट की राशि को सम्मिलित करते हुए न्यूनतम 300 किमी. प्रति दिन के लिए अपनी दर देगा। वाहन Tourist Permit का होना चाहिये।
2. संस्थान की आवश्यकतानुसार निविदादाता को 24 घंटे के नोटिस पर वाहन उपलब्ध कराना होगा।
3. निविदादाता के द्वारा अच्छी कण्डीशन में मॉडल अनुसार वाहन मय ड्राईवर के उपलब्ध कराना होगा। यदि रास्ते में ये वाहन खराब हो जाता है तो इसकी मरम्मत निविदादाता के द्वारा तुरन्त करानी पड़ेगी अथवा दूसरा वाहन उपलब्ध कराना होगा। चार घंटे की अवधि में दूसरा वाहन उपलब्ध न कराने पर या इस वाहन की मरम्मत नहीं कराने पर संस्थान द्वारा निविदादाता के हर्ज खर्च पर दूसरा वाहन किराये पर ले लिया जावेगा जिसकी जिम्मेदारी निविदादाता की होगी।
4. मुख्यतः वाहन का उपयोग पक्की सड़क पर ही किया जायेगा, लेकिन कभी कभी सड़क पर भी उपयोग किया जा सकता है।

5. यदि कार्य करते समय वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है या निविदादाता के कर्मचारी को चोट लग जाती है तो उसका उत्तरदायित्व स्वयं निविदादाता का होगा।

6. सर्विस टैक्स एवं अन्य किसी भी प्रकार का व्यय/टैक्स/पेलन्टी इत्यादि निविदादाता को स्वयं ही वहन करना होगा। टोल टैक्स अन्य राज्य की एन्ट्री टैक्स का वहन रसीद के आधार पर सन्धान करेगा।

7. वाहन के कर्मचारियों (डाईवर) को रहने खाने इत्यादि सभी खर्चे वाहन मालिक द्वारा वहन करने होंगे।

8. वाहन को अधिकृत अधिकारी/कर्मचारी के निर्देशानुसार चलाना होगा यदि इस सेवा में किसी प्रकार की कमी रहती है तो 500/- रुपये प्रति दिन की दर से पेनल्टी का भुगतान तथा अन्य कोई हर्जे खर्चे का नुकसान वाहन मालिक से वसूल किया जावेगा।

9. वाहन आपूर्ति नहीं करने की दशा में वाहन मालिक के हर्जे खर्चे पर अन्य वाहन संस्थान के अधिकृत अधिकारी बाजार से व्यवस्था कर सकेंगे तथा इस अतिरिक्त राशि का भुगतान वाहन मालिक के बिल से वसूल किया जावेगा।

10. वातानुकूलित व्यवस्था चालू नहीं होने पर उन कि०मी० का किराया साधारण बस की दर से देय होगा तथा पेलेन्टी के रूप में रुपये 100/- प्रति घंटा की दर से पेलेन्टी का भुगतान बिल से काटा जावेगा।

अतः आपसे निवेदन है कि इस पत्र के जारी होने की दिनांक से 7 दिवस में 750/- रुपये के नान-ज्यूडिशियल स्टाम्प पैपर के साथ इस कार्यालय में उपस्थित होकर नियमानुसार अनुबन्ध करें। यह कार्य आदेश आपकी निविदा दिनांक 13.08.2018 एवं नेगोसिएशन दिनांक 29.08.2018 को दी गई दर मय विभागीय शर्तों के इस अनुबन्ध के भाग होंगे।

संलग्न: जी शिड्यूल

0। उपनिदेशक एवं प्रक.सहा.
व्यय

दिनांक / 25/9/18

क्रमांक / आईएमटीआई/लेखा-1/2018-19/2/40-45

1. प्रतिलिपि सयुक्त निदेशक (प्रशि.) आई०एम०टी०आई० कोटा।
2. उप निदेशक (सम्पदा) आई०एम०टी०आई० कोटा।
3. लेखाधिकारी, आई.एम.टी.आई.कोटा
4. केशियर/बिल लिपिक आई०एम०टी०आई० कोटा।

0। उपनिदेशक एवं प्रक.सहा.
व्यय

E-NIT NO 2 of 2018-19 (Item No 02)

G-Schedule

कार्य का नाम	संस्थान के उपयोग हेतु वातानुकूलित/साधारण कार आवश्यकतानुसार किराये पर उपलब्ध करने के लिए एक वर्ष की दर संविदा (300 कि.मी.)
कार्य अवधि	एक वर्ष
निविदा मूल्य	500/-
निविदा डाउनलोड	09.08.2018 (upto 6.00 pm)
निविदा अपलोड	10.08.2018 (upto 6.00 pm)
निविदा खोलने की तिथि	13.08.2018 (at 3.00 pm)
अनुमानित ठेका राशि	3.00 लाख
धरोहर राशि	6000/-

S.No.	Item	Quoted rate (Rs) per k.m.
1	Rate contract for AC / Non AC car on rental for 300 km/day (minimum) 7 seated Bolero / Innova /Tavera etc model 2015 & above. a) A.C. b) Non A.C.	
2	Rate contract for AC / Non AC car on rental for 300 km/day (minimum) 5 seated Tata indigo /Ford fiesta /Swift desire etc model 2015 & above. a) A.C. b) Non A.C.	

शर्तें

1. निविदाएं यथा सम्भव शर्त रहित होनी चाहिए।
2. धरोहर राशि के अभाव में निविदा पर विचार नहीं किया जाएगा।
3. निविदा के किसी भी भाग को या सम्पूर्ण निविदा को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार मुख्य अभियंता एवं महानिदेशक सिंचाई प्रबन्धन एवं प्रशिक्षण संस्थान कोटा के पास संरक्षित है।
4. निविदादाता से अपेक्षा की जाती है कि वह चालक के वेतन, डीजल/पेट्रोल की कीमत, सरकारी कर एवं परमिट की राशि को सम्मिलित करते हुए न्यूनतम 300 किमी. प्रति दिन के लिए अपनी दरे देगा। वाहन Tourist Permit का होना चाहिये।

5. संस्थान की आवश्यकतानुसार निविदादाता को 24 घंटे के नोटिस पर वाहन उपलब्ध कराना होगा।
6. निविदादाता के द्वारा अच्छी कण्डीशन में मॉडल अनुसार वाहन मय ड्राइवर के उपलब्ध कराना होगा। यदि रास्ते में ये वाहन खराब हो जाता है तो इसकी मरम्मत निविदादाता के द्वारा तुरन्त करानी पड़ेगी अथवा दूसरा वाहन उपलब्ध कराना होगा। चार घंटे की अवधि में दूसरा वाहन उपलब्ध न करने पर या इस वाहन की मरम्मत नहीं कराने पर संस्थान द्वारा निविदादाता के हर्जे खर्चे पर दूसरा वाहन किराये पर ले लिया जावेगा जिसकी जिम्मेदारी निविदादाता की होगी।
7. मुख्यतः वाहन का उपयोग पक्की सड़क पर ही किया जायेगा, लेकिन कभी कभी कच्ची सड़क पर भी उपयोग किया जा सकता है।
8. यदि कार्य करते समय वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है या निविदादाता के कर्मचारी को चोट लग जाती है तो उसका उत्तरदायित्व स्वयं निविदादाता का होगा।
9. सर्विस टैक्स एवं अन्य किसी भी प्रकार का व्यय/टैक्स/पेलन्टी इत्यादि निविदादाता को स्वयं ही वहन करना होगा। टोल टैक्स अन्य राज्य की एन्ट्री टैक्स का वहन रसीद के आधार पर संस्थान करेगा।
10. वाहन के कर्मचारियों (ड्राइवर) को रहने खाने इत्यादि सभी खर्चे वाहन मालिक द्वारा वहन करने होंगे।
11. वाहन को अधिकृत अधिकारी/कर्मचारी के निर्देशानुसार चलाना होगा यदि इस सेवा में किसी प्रकार की कमी रहती है तो 500/- रुपये प्रति दिन की दर से पेनल्टी का भुगतान तथा अन्य कोई हर्जे खर्चे का नुकसान वाहन मालिक से वासूल किया जावेगा।
12. वाहन आपूर्ति नहीं करने की दशा में वाहन मालिक के हर्जे खर्चे पर अन्य वाहन संस्थान के अधिकृत अधिकारी बाजार से व्यवस्था कर सकेंगे तथा इस अतिरिक्त राशि का भुगतान वाहन मालिक के बिल से वासूल किया जावेगा।
13. वातानुकूलित व्यवस्था चातू नहीं होने पर उन कि०मी० का किराया साधारण बस की दर से देय होगा तथा पेलेन्टी के रूप में रुपये 100/- प्रति घंटा की दर से पेलेन्टी का भुगतान बिल से काटा जावेगा।

हस्ताक्षर निविदादाता

Lud

उपनिदेशक एवं तक.सहायक

आई.एम.टी.आई. कोटा